He Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)
PART II— Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 16, 2001/फाल्गुन 25, 1922

No. 122]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 16, 2001/PHALGUNA 25, 1922

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 16 मार्च, 2001

सं. 5/2001

सा.का.नि. 189(अ).— केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 68घ की उपेधारा (1)और धारा 68 छ के साथ पठित तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 228(अ), तारीख 24 अप्रैल, 1997 का अधिक्रमण करते हुए, उक्त दोनों अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारियों/प्रशासकों में अधिकारिता के निम्नलिखित क्षेत्रों को आबंदित करती है :—

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी का नाम	अधिकारिता
1.	सक्षम प्राधिकारी, कोलकत्ता	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र
2.	सक्षम प्राधिकारी, चेन्नई	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य और पाण्डिचेरी तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र
3.	सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान राज्य और चण्डीगढ़ तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र
4.	सक्षम प्राधिकारी, लखनऊ	बिहार झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य
5.	सक्षम प्राधिकारी, मुबंई	गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य और दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र

टिप्पण : — सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता का क्षेत्र निरुद्ध व्यक्ति/उस व्यक्ति के पते/निवास पर आधारित होगा जिसके विरुद्ध सुसंगत अधिनियमों के अधीन निरोध आदेश जारी किया गया है/जिसको आरोपित किया गया है। यदि एक से अधिक पते या निवास स्थान हों तो उस सक्षम 835 GI/2001 प्राधिकारी को अधिकारिता होगी जिसकी अधिकारिता में प्रायोजक/अन्वेषक अभिकरण अवस्थित है। ऐसे व्यक्तियों की दशा में जिनका भारत में कोई पता या निवास स्थान नहीं है, उस सक्षम प्राधिकारी को अधिकारिता होगी जिसकी अधिकारित क्षेत्र में उस व्यक्ति को निरोध किया जाता है/आरोपित किया जाता है। स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के समतुल्य किसी अपराध के लिए भारत के बाहर दण्ड अधिकारिता रखने वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दण्डादिष्ट किए गए व्यक्ति की बाबत वह सक्षम प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र पर होगी, सक्षम प्राधिकारी होगा जिसकी अधिकारिता के क्षेत्र में अवैध रूप से अर्जित संपत्ति अवस्थित है या वह सक्षम प्राधिकारी होगा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

[फा. सं. एच-13011/5/2000-सीए] डा. एम. सी. महानतन, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2001 No. 5/2001

G.S.R. 189(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976) read with sub-section (1) of Section 68D and Section 68G of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) and in supersession of the notification number GSR 228(E) dated 24th April, 1997 of Department of Revenue, Ministry of Finance, published in Part II, Section 3, Subsection (1) of the Gazette of India Extraordinary, the Central Government is pleased to allocate the following areas of jurisdiction among the Competent Authorities/Administrators for the purposes of the said two Acts:—

S. No.	Name of Competent Authority	Jurisdiction
1	Competent Authority, Kolkata	States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Sikkim, Tripura, West Bengal and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.
2.	Competent Authority, Chennai	States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamilnadu and Uruon Territories of Pondicherry and Lakshdweep
3	Competent Authority, New Delhi	States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan and Union Territories of Chandigarh and National Capital Territory of Delhi
4	Competent Authority, Lucknow	States of Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh and Uttaranchal
5	Competent Authority, Mumbai	States of Gujarat, Goa, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli

Note: The area of jurisdiction of the Competent Authorities shall be on the basis of the address/residence of the detenue/ the person against whom detention order has been issued/the person who has been charged under the relevant Acts. If there is more than one address/place of residence, the Competent Authority in whose jurisdiction the sponsoring/investigating agnecy is located, shall have the jurisdiction. In case of persons who do not have any address/place of residence in India, the Competent Authority in whose area of jurisdiction the person is detained/ charged, shall have the jurisdiction. In respect of a person convicted by a competent court of criminal jurisdiction outside India for an offence similar to an offence punishable under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 with imprisonment for a term of five years or more, the Competent Authority who shall have jurisdiction shall be the Competent Authority in whose area of jurisdiction the illegally acquired property is located or the Competent Authority, who has been authorised by the Central Government by an order.

[F. No. H-13011/5/2000-CA] DR. M. C. MEHANATHAN, Dy. Secy.